A2
2

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छींम्पा, R.A.S.

वादपत्र संख्या 38/2018
अन्तर्गत धारा 88,91,188,92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

लालाराम आत्मज श्री ताबाराम, बावरी, गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगगानगर

...वादी

बनाम

1. श्रीमती सुगनाबाई आत्मजा श्री लालाराम, बावरी, कोनी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
2. भागसिंह आत्मज श्री सोहनसिंह, बावरी, चक 3 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ
3. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक * श्रीगंगानगर * सत्यमेव जयते

उपस्थित– श्री ओमप्रकाश बत्तरा (वादी)
श्री मोहनलाल छाबड़ा (प्रतिवादी–1,2)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–3)

दिनांक 23 जुलाई, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 5 पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/49 मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 1 से 25 की 6.325 हैक्टर कृषि भूमि में से ½ हिस्सा में से 1.580 हैक्टर कृषि भूमि इकरारनामा दिनांक 8 दिसम्बर, 2009 द्वारा श्रीमती जयकौर धर्मपत्नी श्री मेहरसिंह आत्मजा श्री बिशनाराम से क्रय की गयी. उक्त भूमि मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 1 से 5 सालम, किला नम्बर 6 से 10 प्रत्येक 0.063 हैक्टर कुल 1.580 हैक्टर पर क्रय तिथि से ही कब्जा वादी का चला आ रहा है. जिस पर वादी आज भी काबिज है. वास्तव में वादी द्वारा क्रय का इकरारनामा अपनी पुत्री के नाम से निष्पादित कराया गया जिस पर वही काबिज चला आ रहा है. बाद में उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से विकेता श्रीमती जयकौर की खोलायत पुत्री के रूप में वर्तमान जमाबन्दी में खाता संख 54/49 मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 1 से 25 में से नामान्तरकरण संख्या 372 दिनांक 17 जुलाई, 2016 से दर्ज चली आ रही है. अब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लालचवश वादी के क्रयशुदा एवं कब्जा शुदा कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने एवं रकबा अन्य को अन्तरित करने में प्रयासरत हैं जबकि वादी का मौजूदा फसल काश्त है. वादी द्वारा क्रय की तिथि से ही भूमि पर भारी मेहनत एवं राशि का व्यय कर सुधारा गया है. अतः वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण स्वयं अथवा किसी भी अन्य के माध्यम से क्रयाधीन

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2/3

कृषि भूमि मे हस्तक्षेप कर उसे जबरन बेदखल करने, किसी अन्य को अन्तरित नहीं करने से निषिद्व रहें. अगर प्रतिवादीगण अपने उदृेश्य में सफल हो जाते हैं तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी. इसलिये वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है. वादी द्वारा प्रतिवादीगण से बार बार आग्रह किया गया कि वादी के हक व खरीदशुदा कब्जा काश्त की भूमि में स्वयं अथवा किसी अन्य की सहायता से हस्तक्षेप करने, जबरन बेदखल करने से निषिद्व रहें किन्तु प्रतिवादीगण लालचवश टालमटोल करते हुऐ दिनांक 3 अप्रेल, 2018 को साफ इन्कार हो गये. जिनके द्वारा धमकी दी गयी कि जबरन कब्जा करेंगे व भूमि अन्य को अन्तरित कर देंगे. यही वादहेतुक उपलब्ध है. इस प्रकार वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व, उनके द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से वादी की कयाधीन कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 1 से 5 सालम, किला नम्बर 6 से 10 प्रत्येक 0.063 हैक्टर कुल 1.580 हैक्टर पर वादी के शान्तिपूवर्क चले आ रहे कब्जा काश्त के उपयोग एवं उपभोग में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने एवं किसी अन्य को अन्तरित नही करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 5 पी बड़ी की जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 की प्रमाणित प्रति एवं दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 8 दिसम्बर, 2009 की चित्रित प्रति सलंग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 3 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 23 अप्रेल, 2018 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का नाम वादपत्र के शीर्षक में गलत अंकित किया गया है जबकि प्रतिवादिया वर्तमान में वादी लालाराम की पुत्री नहीं है वर्न प्रतिवादी संख्या 1 को श्रीमती जयकौर धर्मपत्नी स्व. श्री मेहरसिंह आत्मजा श्री किशना द्वारा बचपन में ही गोद ले लिया था एवं इस गोद लेने की रस्म स्वरूप गोदनामा दिनांक 5 दिसम्बर, 2007 निष्पादित किया जाकर पंजीबद्व करवाया हुआ है. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती जयकौर धर्मपत्नी स्व. श्री मेहरसिंह की दत्तक पुत्री है. गोदनामा पर स्वयं लालाराम एवं उसकी पत्नी श्रीमती वीरू की सहमति एवं अंगूठा निशानी है. गोदनामा पंजीकृत है इसलिये यह तथ्य प्रमाणित है कि वादी द्वारा वल्दियत जानबूझ कर गलत अंकित की गयी है. प्रतिवादीगण गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर में अस्थायी रूप से तथा स्थायी रूप से चक 3 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ में निवास करते हैं. गोदनामा पर स्वयं लालाराम एवं उसकी पत्नी श्रीमती वीरू की सहमति एवं अंगूठा निशानी है. गोदनामा पंजीकृत है इसलिये यह तथ्य प्रमाणित है कि वादी द्वारा वल्दियत जानबूझ कर गलत अंकित की गयी है. प्रतिवादीगण गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर में अस्थायी रूप से तथा स्थायी रूप से चक 3 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ में निवास करते हैं. वादी द्वारा कथित अपनी लागत से इकरारनामा दिनांक 8 दिसम्बर, 2009 द्वारा श्रीमती जयकौर धर्मपत्नी स्व. श्री मेहरसिंह से चक 5 पी बड़ी के खाता संख्या 54 / 49

A2
4

मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.325 हैक्टर में से ½ हिस्सा में से 1.580 हैक्टर कृषि भूमि कय करने का इकरारनामा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर निष्पादित नहीं करवाया गया व न ही कय तिथि से कब्जा वादी का चला आ रहा है. और कब्जा आज भी वादी का ही हो. वादी को प्रथमतः कथित इकरारनामा दिनांक 8 दिसम्बर, 2009 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 एवं 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करने का कोई अधिकार अथवा हेतुक प्राप्त नही है व न ही इकरारनामा के आधार पर अधिकारों की घोषणा का वाद अथवा निषेधाज्ञा का वाद राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है. एवं न ही राजस्व न्यायालय को वाद सुनने अथवा कोई अनुतोष प्रदान करने के ही अधिकार हैं. वाद स्पष्ट रूप से वेग तथ्यों एवं झूठे क्लेम पर आधारित होने के कारण आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत विधि द्वारा वर्जित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है. प्रतिवादी संख्या 1 मृतक श्रीमती जयकौर धर्मपत्नी श्री मेहरसिंह की दत्तक पुत्री है तथा उनकी मृत्योपरान्त प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज की जा चुकी है. वर्तमान में मौका पर प्रतिवादी संख्या 1 का साधिकार कब्जा चला आ रहा है. इसलिये वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. वादी द्वारा कथित इकरारनामा को आधार बना कर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर राजस्व न्यायालय वाद सुनने की अधिकारिता नहीं रखती है. प्रतिवादी संख्या 1 साधिकार खातेदार, काश्तकारा एवं काबिज होने के फलस्वरूप एकमात्र मालिक है और अपनी भूमि की हर प्रकार के उपयोग एवं उपभोग करने के लिये स्वतन्त्र एवं सक्षम है. वादी किसी भी श्रेणी का खातेदार नहीं है. इसलिये न तो अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत कर सकता है व न ही भूमि के वास्तविक स्वामी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा ही प्राप्त कर सकता है. वादी को कथित दिनांक 3 अप्रेल, 2018 अथवा अन्य किसी तिथि को प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई वादहेतुक उपलब्ध नहीं है. वादपत्र जाहिरा तौर पर ही दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है, भूमि गैर खातेदारी होने के कारण भी न्यायालय को अधिकारों की घोषणा का वाद सुनने का श्रवणाधिकार उपलब्ध नहीं है. प्रतिवादी संख्या 3 को अनावश्यक रूप से मात्र वाद को लम्बा करने के उदेश्य से पक्षकार बनाया गया है जबकि विचाराधीन प्रकरण विभाजन का नहीं है. अतिरिक्त कथनों मे अंकित किया गया कि वादी माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया इसलिये वह किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है. विचाराधीन वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों सें हिट होने के कारण आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है. वादी को विचाराधीन वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई वादहेतुक उपलब्ध नहीं होने के कारण एवं वादपत्र के अभिवचनों से भी कोई वादहेतुक प्रकृट नही होने के कारण भी वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. प्रश्नगत कृषि भूमि गैरखातेदारी है. प्रतिवादी संख्या 1 को प्रश्नगत कृषि भूमि अपनी माता से प्राप्त होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 साधिकार काश्तकार

A2
5

होने के नाते एक मात्र वास्तविक स्वामी है जिसके विरूद्व वादी किसी भी न्यायिक दृष्टि से अधिकारों की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार उपलब्ध नही है.जबकि इकरारनामा के आधार पर वास्तविक स्वामी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता. इस प्रकार वादपत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया. जवाब वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में पंजीबद्व दस्तावेज गोदनामा दिनांक 5 दिसम्बर, 2007सदस्य प्रबन्ध समिति, जल उपभोक्ता संगम द्वारा जारी पानी की पर्ची वर्ष 2017–18, 2018–19 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादीगण की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 23 अप्रेल, 2018 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार विचाराधीन वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 एवं 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया है तथा वादपत्र का आधार कथित इकरारनामा दिनांक 8 दिसम्बर, 2009 बनाया गया है. यद्यपि वाद में धारा 88, 91 की बाबत कोई अनुतोष अधियाचित नही किया गया जबकि वादी किसी भी श्रेणी का खातेदार नहीं होने के कारण एवं भूमि गैरखातेदारी होने के कारण धारा 188 एवं 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है. वादपत्र के अभिवचनों से स्पष्ट है कि वादी द्वारा इकरारनामा दिनांक 8 दिसम्बर, 2009 से स्वयं को केता होने का कथन कर व्यादेश का अनुतोष चाहा गया है जबकि इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय को वाद सुनने अथवा अनुतोष प्रदान करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है. महज दीवानी न्यायालय में ही विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अन्तर्गत पूर्ण न्यायशुल्क अदा कर ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है. विचाराधीन वादपत्र विधि से बाधित होने के कारण एवं वाद को कोई वादहेतुक राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का हासिल नहीं होने के कारण वादपत्र इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है. आवेदनपत्र का निस्तारण महज वादपत्र के अभिवचनों से किया जाना है फिर भी रिफाय उज्र जवाब वादपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है. वादपत्र के अभिवचनों से ही स्पष्ट होता है कि वादपत्र विधि से बाधित है एवं वाद प्रस्तुत करने का कोई वादहेतुक वादी को प्राप्त नहीं है इसलिये वाद वैक्सेसियस क्लेम एवं आधारहीन तथ्यों पर होने के कारण इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार विचाराधीन वाद विधि से बाधित होने के फलस्वरूप एवं वादी को कोई वाद हेतुक राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का हासिल नहीं होने के कारण इसी बिन्दू पर बिना आयन्दा विचारण सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

वादी की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 27 जून, 2018 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार वादपत्र के बिन्दू संख्या 2 में स्पष्ट कथन किया गया है कि प्रश्नगत कृषि भूमि उसने अपनी लागत से जयकौर से कय की तथा कब्जा कयातिथि से ही वादी का चला आ रहा है. जिससे यह स्पष्ट है कि वादी प्रभावित व्यक्ति है तथा वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी है. जिसकी बाबत वादपत्र में साक्ष्य प्रस्तुत

A2/6

होने के बाद ही निर्णय लिया जाता है ऐसी स्थिति में, इसी स्तर पर आवेदनत्र पोषणीय नहीं है. चूंकि प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा वादी के पास है तथा वादी ही मामला एं लगान अदा कर रहा है. वादी प्रभावित व्यक्ति है तथा वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी है. तथा वादपत्र में चाहा गया अनुतोष भी केवल राजस्व न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है अन्य कोई न्यायालय ऐसे अनुतोष के लिये सक्षम नहीं है. अतः आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता की परिधि में नहीं आता. धारा 207, 209 राज. का.अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अन्य कोई न्यायालय सक्षम न होने से माननीय न्यायालय ही वादपत्र सुनने के अधिकारी हैं. वादपत्र में साक्ष्य अपेक्षित है तथा जवाब वादपत्र आने पर विवाद्यकों का निर्धारण किया जाकर कानूनी तनकियात बनायी जाकर वाद का निर्णय किया जा सकता है. वादी अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये ऐसा वाद केवल राजस्व न्यायालय में ही ला सकता है क्योंकि अपेक्षित अनुतोष कृषि भूमि से सम्बद्व है जो केवल राजस्व न्यायालय ही दे सकता है. कानूनी बिन्दुओं पर कानूनी विवाद्यक कायम की जाकर सुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है. इस प्रकार आवेदनपत्र सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यो का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत कमशः

2014 DNJ 341 Sardari(Smt.)& ors vs. Kalidevi @ Laxmidevi(Smt.) & ors.
2013(1) RRT 685 Abhay Pediwal & Anr vs. Sanjay Kumar Jain & ors.
2017(3) DNJ (Raj.) 1035 Rajeshwar Singh Chundawat & ors. vs. State of Rajasthan thru Distt. Collector, Udaipur
2013(1) RRT 356 Nathu Ram Seth vs. Smt. Poonam Seth & ors.
2009(1) RRT 638 Jagdish Narayan & ors vs. Radhey shyam & ors.

का ससम्मान अवलोकन किया गया.

विचाराधीन वादपत्र का मुख्य आधार अपंजीकृत इकरारनामा दिनाक 8 दिसम्बर, 2009 प्रस्तुत किया गया है. प्रथमताः राजस्व अभलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 के अनुसार चक 5 पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/49 मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 1 से 25 की 6.325 हैक्टर कृषि भूमि गैर खातेदारी(कस्टोडियन विभाग) है जिसे सनद जारी होने से पूर्व किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं किया जा सकता. द्वितीय, अपंजीकृत इकरारनामा दिनाक 8 दिसम्बर, 2009 के आधार पर वादी को प्रश्नगत कृषि भूमि के वास्तविक स्वामी के विरूद्व किसी भी प्रकार के अधिकार उपलब्ध ही नही हैं. ऐसी स्थिति में, अपंजीकृत इकरारनामा दिनाक 8 दिसम्बर,

A-2
7

2009 के आधार पर प्रस्तुत वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण आदेश 7 नियम 11(घ) व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार इस न्यायालय मे पोषणीय नही होने के कारण आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार किये जाने योग्य है.

।। आदेश ।।

अतः आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाता है तथा वादपत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे.

आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को खुले न्यायालय में अधिवक्तागण की उपस्थिति में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(श्रीमती रीना छीम्पा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डाधिकारी
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर